कार्यालय

अधीक्षक, एम0जे0के0अस्पताल सह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, प0 चम्पारण।

निविदा आमंत्रण सूचना

पश्चिम चम्पारण जिलान्तगर्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (एम0जे0के0 अस्पताल) बेतिया, प0 चम्पारण के लिए वर्ष 2016–17 में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379(9) दिनांक 16.08.02, पत्रांक 73(9) दिनांक 28.01.06 एवं पत्रांक 1757 दिनांक 19.10.14 तथा पत्रांक 740(17) दिनांक 05.11.14 के आलोक में दवा, रसायन, मशीन / उपस्कर / सामग्री पूर्तियां के क्रय हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माताओं एवं अधिकृत आपूर्तिकत्ताओं जो बिहार वाणिज्य कर विभाग से निबंधित हों, से मुहरबंद निविदा डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) वें दिन अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि से अगले सप्ताह को पूर्वाह्न 11:00 (ग्याहर) बजे अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के प्रकोष्ठ में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल क्रय समिति के समक्ष तकनिकी निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है। निविदादाता उपस्थित नही होते है तो उनकी उपस्थिति में भी निविदा खोली जायेगी। निविदा द्वि–लिफाफा पद्वति में देना होगा। तकनिकी निविदा में सभी कागजात / अभिलेख एवं निर्मित दवा / उपस्कर / सामग्री आदि का विवरण (Specification) तथा वित्तीय निविदा में सिर्फ दवा / मशीन उपकरण / सामग्री का नाम एवं दर होगा।

निविदा शर्त निम्न प्रकार है:–

1. निविदादाता को निविदा के साथ सत्यंकार राशि के रूप में 100000.00 (एक लाख) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 जो अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया के पदनाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। दर अनुमोदन होने पर जब तक आपूर्ति चलता रहेगा सत्यंकार राशि वापस नही की जायेगी।
2. दवा रसायन, उपकरण, सामग्री पूर्तियां एवं मशीन उपकरणों की सूची तथा निविदा की अन्य शर्तें निविदा प्रकाशन की तिथि से 20 वें दिन तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा मॉग पत्र या 10" x 4" का लिफाफा स्वलिखित पता एवं डाक टिकट सहित 500.00 (पॉच सौ) रूपये का बैंक ड्रापट भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। जिनके नाम से निविदा सूची निर्गत नहीं होगी उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए वेवसाईट www.westchamparan.nic.in एवं www.gmcbettiah.org पर भी देखा जा सकता है।

अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल
सह रा0चि0 महाविद्यालय,
बेतिया, प0 चम्पारण।

कार्यालय, अधीक्षक, एम0जे0के0अस्पताल सह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, प0 चम्पारण।

निविदा की अन्य शर्तें निम्नांकित है:–

1. निविदा दो प्रकार की होगी। तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करना होगा। लिफाफे के उपर लाल स्याही से तकनीकी/वित्तीय निविदा अंकित होना अनिवार्य है।
2. विज्ञापन में निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
3. एकल निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
4. निर्धारित समय सीमा के अन्दर निविदादाता संस्थाओं से प्राप्त निविदाओं में जो निविदादाता संस्थान तकनीकी निविदा के आधार पर सुयोग्य पाये जायेंगें। उन्ही निविदादाता संस्थानों की वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
5. निविदादाता संस्थानों से तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित कागजातों/अभिलेखो को संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथ उनकी तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

   (क) अग्रिम राशि (Earnest Money) के रूप में मो0–100000.00 (एक लाख) रूपये का राष्ट्रीयकृत डिमान्ड ड्राफ्ट/भारती पोस्टल आर्डर मूल प्रति/NSC अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, प0 चम्पारण, बेतिया के पदनाम से देय होना चाहिए को संलग्न करना होगा।

   (ख) निविदादाता आपूर्तिकर्त्ता संस्थानों का थोक औषधि ब्रिक्रय अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र, अद्यतन विक्रय अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रमाण–पत्र, भौतिक स्थिति में रहने संबंधी प्रमाण–पत्र, नन् कन्विक्शन सर्टिफिकेट, वाणिज्य कर विभाग से निर्गत अद्ययतन कर चुकता प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, सी0ए0 द्वारा प्रदत विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन, औषधि निर्माता संस्थान से प्राप्त बिक्रय प्राधिकार पत्र, प्राधिकृत करने वाले औषधि निर्माणकर्त्ता संस्थानो का औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र अद्ययतन निर्माण अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रमाण–पत्र, अद्ययतन अनुमोदित उत्पाद सूची (Product list) जी0एम0पी0/डब्लू0एच0ओ0 सर्टिफिकेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति में।

   (ग) निविदादाता औषधि संस्थानों का औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र अद्यतन निर्माण अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रमाण–पत्र, अद्यतन अनुमादित उत्पाद सूची (Product list) नन् कन्विक्शन प्रमाण पत्र, जी0एम0पी0/डब्लू0एच0ओ0 प्रमाण–पत्र, संस्थान के भौतिक स्थिति में रहने का प्रमाण–पत्र, विगत तीन वर्षो का इन्कम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट,पैन कार्ड, वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त निबंधन प्रमाण–पत्र वाणिज्य कर विभाग से अद्यतन कर चुंकता प्रमाण–पत्र, सी0ए0 द्वारा प्रदत विगत तीन वर्षो का ऑडिट प्रतिवेदन, सभी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति में।

   (घ) निविदादाता संस्थानों को इस आशय का प्रमाण–पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा कि संस्थान केन्द्र केन्द्र सरकार/किसी भी राज्य सरकार अथवा संस्था के द्वारा काली सूची में दर्ज नही है।

   (ङ0) निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ फॉर्म के मालिक/पार्टनर का नाम एवं पता/दूरभाष/मोबाईल नम्बर सहित उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।

   (च) लघु उद्योग ईकाई को उद्योग विभाग से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र एवं उत्पादनरत होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, साथ ही इन्हें इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उनके स्वउत्पादित सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
6. वित्तीय निविदा के साथ आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की जानेवाली औषधि/सामग्री/मशीन/उपरकर की दर सूची (Price list) संलग्न करना होगा, जिसमें दर कर सहित एवं कर रहित होनी चाहिए, साथ ही आपूर्तिकर्ताओं को औषधियों का नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी द्वारा अनुमोदित मूल्य दर सूची की स्वअभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को वितीय निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा की दर सूची में अंकित दर DPCO/NPPA के प्रावधानों का उल्लंघन नही करता है।
8. तकनीकी निविदा के शर्तो के आधार पर सुयोग्य पाये गये निविदादाताओं न्यूनतम दर (L1) वाले निविदादाताओं से ही क्रय किया जायेगा।
9. यदि (L1) चयनित आपूर्तिकर्ता के द्वारा दवा, सामग्री, उपरकर आदि की आपूर्ति नही की जाती है तो आपूर्तिकर्ता का Tender/Performance Security Money जब्त करते हुए चयनित आपूर्तिकर्ता (L2) से (L1) के दर पर दवा की आपूर्ति स्वीकार की जा सकती है।
10. वित्तीय निविदा के आधार पर न्यूनतम दर (L1) वाले निविदादाता का दर बाजार मूल्य से अधिक पाये जाने पर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल क्रय समिति क्रय करने हेतु बाध्य नही होगा।

27/8/14

11. आपूर्ति की गई सभी बैच की दवाओ का Test and Analysis संबंधित औषधि निरीक्षक के द्वारा कराया जायेगा। यदि कोई मानक स्तर का नही पाया जाता है तो आपूर्तिकर्ता के मूल्य पर दवा वापस करते हुए औषधि निरीक्षक के द्वारा Drug and Cosmetics Act. 1940 and The Rule 1945 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही संबंधित आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध Debarment/black listing/Deregistration या अन्य कोई विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

12. औषधि आपूर्तकर्ता/निर्माणकर्ता निविदादाता को औषधि आपूर्ति करते समय आपूरित औषधियों के साथ औषधियों के मानक स्तर के हाने संबंधित किसी मान्यता प्राप्त दवा जॉच प्रयोगशाला से प्रदत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में बिल विपत्र के साथ टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नही करने पर आपूर्ति स्वीकार नही की जायेगी।

13. निविदादाता आपूर्तिकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि अवसान तिथि के पूर्व जॉचोपरान्त किसी भी स्तर पर अमानक पाये जाने पर निविदादाता को भुगतान की गई राशि उनसे वसूल करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

14. निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ रूपये का होना आवश्यक है।

15. आपूर्त्ति के समय दवाओं पर Hospital Supply Not for Sale अंकित रहना अनिवार्य है।

16. प्रत्येक स्थिति में दवाओं एवं सामग्रियों का गुणवता कोटि कार्यकुशलता एवं टिकाउपन को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

17. सभी टैबलेट/कैपसुल की आपूर्ति स्ट्रीक पैकिंग में करना अनिवार्य होगा। लूज पैकिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा।

18. Strips/Vials/Ampoules/I.V. Fluids/Boxes/Cartons एवं अन्य सामग्रियों की Labeling स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए एवं कन्टेनर पर पूर्णरूपेन सटा होना चाहिए अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नही की जायगी।

19. आपूर्ति की जाने वाली दवा की समाप्ति तिथि कम से कम अठारह माह से चौबिस माह का होना चाहिए।

20. निविदादाता को आपूर्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के अंदर अपने खर्च पर आपूर्ति आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारीयों के दवा भंडार तक पहुँचाना अनिवार्य होगा। आपूर्ति में हुए टूट–फूट एवं विलम्ब के लिए किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

21. Liquidated damages will be levied for delayed supply (0.5% of value of supply order for indented Medicines per day subject to maximum of 35% of bill amount of delayed supply) which shall be deducted from their bill our Performance security money.

22. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल क्रय समिति के द्वारा स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष 2016–17 के पूरे एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

23. निविदादाता को सामग्री आदि का एक–एक नमूना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ताकि नमूना के आधार पर गुणवता का पहचान किया जा सकेगा।

24. दवा, उपरकरण, उपस्कर की सूची अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से कार्यावधि में सीधे प्राप्त किया जा सकता है अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

25. निविदा संबंधी आवश्यक संशोधन अथवा निविदा रद्द करने का अधिकार चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।

26. निविदा संबंधी किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र बेतिया, प0 चम्पारण होगा।

27. अद्योहस्ताक्षरी से निर्गत दवा/उपकरण/उपस्कर की सूची के क्रमांक को किसी भी परिस्थिति में हस्तान्तरित या बदलाव नहीं किया जाय।

28. क्रय की जाने वाली दवा/उपस्कर/मशीन/सामग्री आदि की सूची www.westchamparan.bih.nic.in एवं www.gmcbettiah.org पर अथवा अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में कार्यालय अवधि में सीधे प्राप्त किया जा सकता है। निविदा संबंधी आवश्यक संशोधन अथवा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति का होगा।

29. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात/अभिलेख फॉर्म के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वअभिप्रमाणित होना अनिवार्य है। आवश्यकता महसूस किये जाने पर इसके मूल रूप के मॉग की जा सकती है।

अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल
सह रा0चि0 महाविद्यालय,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।